

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा यह जिजासा की गयी है कि जिन संव्यवहारों में अपंजीकृत से खरीद करके सी फार्म के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री की जाती है वहां पर बिक्री पर कर का दायित्व कम होने के कारण क्रय कर अधिक जमा हो जाता है क्योंकि केन्द्रीय बिक्री में शत प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है । अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक माह अपंजीकृत से खरीद पर देय क्रय कर जमा किया जाएगा और अधिक जमा धनराशि का रिफण्ड वर्ष समाप्त के बाद नियमानुसार किया जाएगा । व्यापारियों का तर्क है कि शुद्ध संदेय कर (नेट टैक्स पेयेबल) कम होता है और जमा अधिक होता है । इस प्रकार विभाग के पास अधिक धनराशि प्रत्येक माह जमा होती रहेगी जिससे कार्यशील पूँजी कम हो जाएगी । परिणामस्वरूप व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतः अनुरोध किया जा रहा है कि इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए जिससे भ्रम दूर हो सके । अतः इस पर निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

उपर्युक्त मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अंतर्गत इनपुट टैक्स की परिभाषा में अपंजीकृत से की गयी करयोग्य खरीद पर संदेय कर कोषागार में जमा करने पर इनपुट टैक्स की धनराशि में शामिल माना जाएगा । धारा-13(4) में निम्न प्राविधान है :-

" इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के किसी उपबन्ध में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में जिसके विषय में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अनुमन्य है, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अस्थाई रूप से उस दिनांक को दावा किया जा सकता है जिसको ऐसे माल से सम्बन्धित कर बीजक व्यवहारी को प्राप्त हो और जहां व्यवहारी स्वयं किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए ऐसे दिनांक को दायी है, जिसको देय कर की धनराशि उसके द्वारा देय कर के खातें व्यापारी द्वारा जमा कर दी जाती है । "

उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि अपंजीकृत से खरीद पर कर जमा करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है परन्तु सी फार्म से केन्द्रीय बिक्री करने पर कर का दायित्व कम होता है और खरीद पर कर की धनराशि जमा करने से निश्चित रूप से व्यापारी का अधिक कर जमा हो जाता है । अधिक धनराशि को व्यापारी अपने स्वीकृत कर के विरुद्ध भी समायोजित कर सकता है । चूंकि यह धनराशि कोषागार में जमा होती है तो संदेय क्रय कर के विरुद्ध समायोजित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है । धारा-15(2) के स्पष्टीकरण में निम्न उल्लेख है :-

संदत्त कर की धनराशि का योग का तात्पर्य निम्नलिखित धनराशि के योग से है :-

- (क) व्यवहारी द्वारा ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त जमा कर;
- (ख) माल के किसी विक्रय के सम्बन्ध में धारा-34 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया गया कर, जहां ऐसा विक्रय ऐसी कर अवधि के दौरान किया जाये; और

(ग) ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त समायोजित प्रति संदाय

उपरोक्त विधिक स्थिति होते हुए इस बात में कोई विवाद नहीं रह जाता है कि यदि किसी व्यापारी का शुद्ध संदेय कर से अधिक कर जमा है और यह बात अभिलेखों से प्रमाणित है तो अधिक जमा राशि को अगले टैक्स पीरियड के देय कर के विरुद्ध समायोजित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है । इस प्रकार यदि किसी व्यापारी का कर अधिक जमा है तो उसे अगले टैक्स पीरियड के देय क्रय कर के विरुद्ध समायोजित करना अविधिक नहीं है । इस तथ्य को निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है :-

यदि कोई व्यापारी माह जनवरी 2008 में रु0 10000/- के टिम्बर की खरीद अपंजीकृत से करता है, तो इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से रु0 12500/- क्रय कर देय होगा । इस टिम्बर की बिक्री सी फार्म के विरुद्ध केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत रु0 15000/- में करने पर 3 प्रतिशत की दर से 4500/- केन्द्रीय बिक्री कर बनता है । व्यापारी द्वारा नक्शे के साथ रु0 12500/- क्रय कर जमा कर दिया जाता है । शुद्ध संदेय कर और देय कर की गणना निम्न प्रकार की जाएगी:-

#### माह जनवरी 2008

कुल कर दायित्व	12500/- + 4500/- =	17000/-
आईटी0सी0	12500/-	

शुद्ध संदेय कर	4500/-
<u>जमा का विवरण</u>	
जमा धनराशि	12500/-
घटाईये शुद्ध संदेय कर	4500/-
अधिक जमा	8000/-

#### माह फरवरी 2008

माह फरवरी में व्यापारी अपंजीकृत से रु0 200000/- के टिम्बर की खरीद करता है जिस पर रु0 25000/- क्रय कर देय होगा जिसकी बिक्री सी फार्म के विरुद्ध रु0 300000/- में करता है तो उस पर 3 प्रतिशत की दर से रु0 9000/- केन्द्रीय बिक्री कर देय होगा । कुल संदेय कर रु0 25000/- + 9000/- = 34000/- होता है । व्यापारी का रु0 8000/- माह जनवरी 2008 में अधिक जमा है, व्यापारी रु0 17000/- का चालान और जमा कर देता है तो कुल 25000/- कर जमा हो जाता है और वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकता है । कुल संदेय कर तथा जमा कर निम्न प्रकार होगा:-

कुल संदेय कर	34000/-
--------------	---------

घटाईये आईटी0सी0	25000/-
-----------------	---------

शुद्ध संदेय कर	9000/-
----------------	--------

#### जमा का विवरण

जमा कर का योग	17000 + 8000 = 25000
---------------	----------------------

घटाईये शुद्ध संदेय कर	9000/-
-----------------------	--------

अधिक जमा राशि	16000/-
---------------	---------

इस प्रकार अधिक जमा कर रु0 16000/- को अगले टैक्स पीरियड में समायोजित किया जा सकता है । इसी प्रकार पूरे वर्ष में गणना होती रहेगी और वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अधिक जमा निकलती है तो नियमानुसार रिफण्ड / समायोजन किया जाएगा । "

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को तथा व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों आदि को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न न हो और प्राप्त होने वाला राजस्व नियमानुसार जमा होता रहे ।

ह0/-

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में) ।
- अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झ0प्र0।
- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0 नु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
- महातेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
- प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट ऑफिस आफ द ए0जी0 डिट 11, सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद ।
- विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोयडा ।
- ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।

14. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिं/असिंकमिं (उ०न्या०कार्य०) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
15. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५-५ तथा १०प्रतियाँ।
16. वैट अनुभाग को १०० प्रतियाँ तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को २५ प्रतियाँ।
17. समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
19. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो०, १८५/२९३, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
20. अधिकारी सी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-१५, माल एवेन्यू, लखनऊ।
21. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, ८७/३४९, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, ६६, शास्त्री नगर, लखनऊ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, २९-बी, विधायक निवास दारुलस़ाफा, लखनऊ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, १४/२६, सिविल लाइन्स, कानपुर।
25. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड०, २/२१०, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
26. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड०, १-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड०, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
28. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-४, साइट संभाल-३, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
30. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय १० इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
32. शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस०कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
33. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन, २६/१०३, बिरहाना रोड, कानपुर
34. प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
35. प्रो० श्रीमती रंजना कवकड़, १५, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
36. डा० छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
37. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो०, २३५, सीताराम, आजमगढ़।
38. श्री अशोक ध्वन, सी के -२४/१, कुंज गली, चौक, वाराणसी।
39. श्री नेकी राम गार्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, ७०७, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मुनगरा।
40. श्री पी०एस०जैन, १३८-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-२७, नोयडा।
41. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र०टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।
42. श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा० निवासी, ६०-चाहचन्द, इलाहाबाद।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामैत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, १९-सुरेशबाग, कानपुर।
45. इन्डियन इण्ड०एसो०, १५९/ए-८, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मुनगरा।
46. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्टर्न यू०पी० (रजि०)५२, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा।
48. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रीयल डिवीजन को०प० स्टेट लि�०, ५१-बी, उद्योग नगर, कानपुर।
49. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो० ३-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
50. श्री दिनेश आरोरा, उ०प्र० वनस्पति प्रोड्युसर्स एसो०, ५१/५८-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।

51. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।
52. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
53. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारूल शाफा, लखनऊ ।
54. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
55. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
56. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ ।
57. अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097 ।
58. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
59. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।

ह0/-

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ ।